

भारत सरकार  
वित्तमंत्रालय  
वित्तीयसेवाएं वभाग  
लोक सभा

**अतारांकित प्रश्नसंख्या 4166**

(जसिका उत्तरा 1 अगस्त, 2017/20 श्रावण, 1939 (शक) को दिया जाना है)

**मौसम बीमा नीति**

4166. डॉ. उदति राज:

क्या वित्तमंत्रियह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्राधकिरण (आईआरडीएआई) ने आईसीआईसीआई लोम्बार्डपर कसिी मौसम बीमा नीतिके उल्लंघन करने पर शास्ता लगाई है; और
- (ख) यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

वित्तमंत्रालयमें राज्य मंत्री(श्रीसंतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): भारतीय बीमा वनियामक और वकिस प्राधकिरण(आईआरडीएआई) ने यह सूचति कयिा है कि दनिांक 03 सतिम्बर, 2015 के आदेश सं. आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/162/09/2015 के द्वारा प्राधकिरण ने मौसम बीमा पॉलिसी के अंतर्गत उचति हामीदारी सुनश्चति करने के लिए बीमाकर्ताओंको नदिश जारी कयिा था।

\*\*\*\*\*